136

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–छतरपुर R 1323-I-17

1– श्रीमती गोमती बाई पत्नी जंगी काछी
2– श्रीमती मानकुवंर पत्नी दीनदयाल काछी
3– श्रीमती रामकली पत्नी भगवानदीन
4– श्रीमती लल्ला बाई पत्नी शोभाराम काछी समस्त निवासी– गुडपारा तहसील राजनगर जिला – छतरपुर (म.प्र.)

––आवेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 04.5.17 को प्रस्तुत
4.5.17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन द्वारा – कलेक्टर जिला–छतरपुर (म.प्र.)
2– लक्ष्मण चमार पुत्र श्री चितुवा चमार निवासी – गुडपारा तहसील राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

–– अनावेदकगण

04/5/17

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 91/अ–21/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 03.02.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, भूमि खसरा नं. 73/1 रकवा 2.023 है0 स्थित ग्राम गुडपारा पटवारी हल्का नं. 45 वर्तमान हल्का नं. 48 राजस्व निरीक्षक मण्डल वसारी तहसील राजनगर जिला छतरपुर की भूमि अनावेदक क्रमांक 2 को पट्टे पर दी गयी थी।
2. यहकि, अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा उक्त भूमि को दिनांक 06.09.1996 को आवेदकगण को पंजीकृत विक्रय पत्र से विक्रय कर मौके पर अधिपत्य दे दिया गया है। तथा क्रय शुदा भूमि पर आवेदकगण का विधिवत् नामान्तरण प्रकरण क्रमांक 50/अ–6/1997–98 में पारित आदेश दिनांक 23.10.1997 को हो गया

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1323–एक/2017 जिला छतरपुर

गोमती बाई आदि विरूद्ध म0प्र0 शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20–2–2019	आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 91/अ–21/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 3–2–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 15–4–2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 20/02/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	